

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 2394/क्राना/2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक <u>२०/०५/२०</u>

प्रति,

समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय: राज्य के अंदर फसे हुए प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल तक (अंतरजिला/आश्रय स्थल से कार्यस्थल तक) पहुंचाने हेतु आवागमन के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ: (1) मारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 19.04.2020.

- (2) छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 189/स0सा0प्र0वि0/2020, दिनांक 16.04.2020.
- (3) छ0ग0शासन, श्रम विभाग, द्वारा जारी श्रमिकों के अंतर्राज्यीय प्रवास के प्रतिबंध संबंधी जारी पत्र कमांक 32, दिनांक 19.03.2020.

- 000 -

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (क्रमांक-2) द्वारा राज्य के अंदर कोविड़-19 के संक्रमण के रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित जिले /हॉटस्पॉटस के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर राज्य के शेष क्षेत्र में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदाय की गई है। संदर्भित पत्र (क्रमांक-1) के परिपेक्ष्य में संकटापन प्रवासी श्रमिकों को उद्योग, कृषि, निर्माण एवं अन्य कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आश्रय स्थल /रिलिफ कैम्प से कार्यस्थल तक भेजने /यातायात हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

- 01. शासन के द्वारा संचालित आश्रय स्थल/रिलिफ कैम्प में निवासरत प्रवासी श्रिमकों के कार्य कौशल की पहचान/चिन्हांकित किया जाकर उसके अनुसार उपयुक्त कार्य उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा पंजीयन किया जावेगा। कौशल चिन्हित करने के बाद उसका जिला स्तर में अनुमित प्राप्त उद्योगों/गितविधियों में प्लेसमेंट के लिये संभावना तलाशकर कार्य दिलाया जाये अथवा पूर्व से कार्यरत कार्यस्थल हेतु इच्छुक होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाए ।
- 02. जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत ही स्वस्थ्य पाये जाने पर ही राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाये ।
- 03. संदर्भित पत्र (क्रमांक-3) के माध्यम से पूर्व में ही श्रिमकों का अन्य राज्यों में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रवासी श्रिमकों के कार्यस्थल तक आवागमन जिले के भीतर/अंतरजिला अर्थात 80ग0 राज्य के भीतर हो सकता है, राज्य के बाहर नहीं।

Room No.: S-4/03, 4th Floor, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur Atal Nagar (C.G.) 492002 Phone: 0771-2234110 fax: 2510266

Email: secy-labour.cg@gov.in, Website: www.cglabour.nic.in

- 04. श्रमिकों के आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था में प्यांप्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुवे, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बस/वाहन को सैनिटाइज करना एवं अन्य कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए ।
- 05. कोरोना संक्रमण के रोकथाम व नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2020 को जारी दिशा-निर्देशों एवं छ0ग0 शासन द्वारा जारी संदर्भित पत्र (क्रमांक-2) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 06. परिवहन अविध में समुचित वाहन से यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रिमिकों हेतु पौष्टिक भोजन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जावे।

उपरोक्तानुसार की गई समस्त कार्यवाही का आवश्यक अभिलेख संचारित किया जाये ।

संलग्न - संदर्भित पत्र क्रमांक-01

(सोनमणि बोरा)

सचिव श्रम सह-श्रमायुक्त एवं स्टेट नोडल अधिकारी,

छत्तीसगढ़ शासन

नवा रायपुर, दिनांक 20.04.2020

पृ0कमांक २३९५/को.वा/2020 प्रतिलिपि-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ शासन।
- 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
- 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
- 4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
- 6. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन।
- प्रमुख सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/कृषि, छत्तीसगढ़ शासन।
- 9. सिचव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/सामान्य प्रशासन विभाग/परिवहन/राजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
- 10. समस्त संभाग आयुक्त (राजस्व).....
- 11. समस्त पुलिस महानिरीक्षक.....
- 12. समस्त पुलिस अधीक्षक
- 13. समस्त श्रम विभागीय अधिकारी की ओर सूचनार्थ।

सचिव श्रम सह-श्रमायुक्त एवं

सचिव श्रम सह-श्रमायुक्त एवं स्टेट नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन

No.40-3/2020-DM-I (A) Government of India Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001 Dated 19th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Orders No.40-3/2020-DM-I(A) dated 29th March, 2020, 15th April, 2020 and 16th April 2020, and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues a Standard Operating Protocol (SOP), for movement of stranded labour within the State/UT as Annexed herewith, to Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State /Union Territory Authorities with the directions for its strict implementation.

Home Secretary

To: (As per list attached)

- The Secretaries of Ministries /Departments of Government of India.
- The Chief Secretaries/ Administrators of States/Union Territories.Copy to:
- i) All Members of the National Executive Committee.
- Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Standard Operating System (SOP) for movement of Stranded Labour

Due to the spread of COVID-19 virus, workers employed in industry, agriculture, construction and other sectors have moved from their respective places of work, and are housed in relief/ shelter camps being run by State/ UT Governments. Since additional new activities, outside the containment zones, have been permitted in the consolidated revised guidelines with effect from 20th April 2020, these workers could be engaged in industrial, manufacturing, construction, farming and MNREGA works. In order to facilitate their movement within the State/UT, the following guidelines may be followed:

- i. The migrant labourers currently residing in relief/ shelter camps in States/ UTs should be registered with the concerned local Authority and their skill mapping be carried out to find out their suitability for various kinds of works.
- ii. In the event, that a group of migrants wish to return to their places of work, within the State where they are presently located, they would be screened and those who are asymptomatic would be transported to their respective places of work.
- iii. It may be noted that there shall be no movement of labour outside the State/UT from where they are currently located.
- iv. During the journey by bus, it would be ensured that safe social distancing norms are followed and the buses used for transport are sanitized as per the guidelines of the Health authorities.
- v. The National Directives for COVID-19 Management issued under the consolidated revised guidelines dated 15th April 2020 shall be strictly followed.
- vi. The local authorities shall also provide for food and water etc., for the duration of their journey.